बिन्दु 8-12

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक– 1788/14–1 दिनांक, एटा, मार्च, 29 ,2017.

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में कि0मी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर कि0मी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग कि0मी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक 1994/14–1 दिनांक 30.01.2017

महोदय,

उक्त विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक1545/एटा–कासगंज मार्ग/21109/2016 दिनांक 25.01.2017 जो आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ, में एटा व कासगंज वन प्रभाग से सम्बन्धित लगाई गई, आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी स्तर से की गयी आपत्ति का विवरण	निस्तारण
1	ऑनलाइन पार्ट–1 मे कासगंज में प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 24.808 हे0 अंकित किया गया है जबकि गणना व पूर्ण प्रस्ताव में क्षेत्रफल 24.008 हे0 है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा आन लाइन पार्ट–प्रथम में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक क्षेत्रफल 24.008 हे0 अंकित कर दिया गया है।
2	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु – 5 व 7 की सूचना त्रुटिपूर्ण है।	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5 व 7 की सही सूचना अंकित कर दी गयी है।
3	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details मे कोई अभिलेख अपलोड नही है।	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details मे सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं।
4	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु 14 मे जिले का वन क्षेत्र 0 दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यदि 0 है तो वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव कैसे प्रेषित किया गया है।	कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु 14 मे जिले का वन क्षेत्र त्रुटिवश शून्य अंकित हो गया था जिसे सही कर, वास्तविक वन क्षेत्र अंकित कर दिया गया है।
5	कासगंज के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	कासगंज के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
6	प्रस्ताव के साथ संलग्न संरक्षित वनभूमि के गजट मे केवल एटा–कासगंज मार्ग को चिन्हित किया गया है, जबकि कासगंज में बरेली–मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण का भी उल्लेख किया गया है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न संरक्षित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन में एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग को चिन्हित कर दिया गया है।
7	परियोजन मे पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता तो नही है, यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त कर संलग्न करें।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

8	लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप मे संलग्न नहीं है।	याचक विभाग से प्राप्त लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर दिया गया है।
9	मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W. प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का Linear Plan जिसमें विद्यमान R.O.W प्रस्तावित R.O.W एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वन भूमि दर्शायी गयी है, संलग्न कर दिया गया है।
10	चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना तथा उक्त वनभूमि पर भूमि उपलब्धता के आधार पर 2 से 3 पंक्ति मे रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न नहीं है।	चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वन भूमि की गणना एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर पंक्ति में रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण के प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव की पावर आफ अटार्नी संलग्न नही है।	प्रस्तावक की पावर ऑफ अटार्नी संलग्न कर दी गयी है।
12	प्रस्ताव के पृष्ठ–63 से 79 तक कुल 93.616 है0 अवनत वनभूमि मे रोपण हेतु रु0 4,65,95,400.00 का व्यय प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु दोनो प्रभागों के ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर अंकित धनराशि का योग रु0 4,66,82,500.00 होता है जो त्रुटिपूर्ण है।	प्राक्कलनों के अनुसार एटा वन प्रभाग की 45.60 हे0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की रू0 248.88 लाख की धनराशि तथा कासगंज वन प्रभाग की 48.016 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की रू0 217.074 लाख की धनराशि कुल रू0 465.954 लाख पार्ट–2 के बिन्दु संख्या–13 में दर्शायी गई है, जो सही है। पूर्व में टंकण त्रुटि के कारण अधिक धनराशि अंकित हो गयी थी।
13	उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन एवं आफ लाइन संशोधित करने का कष्ट करें।	प्रभाग से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाओं को आन लाइन व आफ लाइन संशोधन कर दिया गया है।
14	उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक करें।	प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक कर दी गयी है।

उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 4–4 प्रतियों में पुनः संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा / कासगंज

पत्रांक 1788 / 14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उक्त वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा / कासगंज